

अध्याय III

वित्तीय प्रतिवेदन

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक अच्छी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावशाली शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार, वित्तीय नियम, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति के प्रतिवेदन की समय परता एवं गुणवत्ता अच्छे शासन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावशाली एवं क्रियात्मक हो तो चुस्त योजना बनाने एवं निर्णय लेने में राज्य सरकार को उनके प्रबंधात्मक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता मिलती है। यह अध्याय, राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के साथ पूर्व वर्षों के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों का विहंगावलोकन एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र

बिहार कोषागार संहिता 2011 का नियम 177 उपबंधित करता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर आहरित धन उसी वित्तीय वर्ष में व्ययित कर दिया जाएगा तथा अव्ययित राशि वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार को प्रेषित कर दी जाएगी। पुनः बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 194 के अनुसार जिस महीने में सार विपत्र आहरित की गयी थी, उसके छह माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत कर दी जाएगी तथा छह माह की अवधि की समाप्ति के बाद कोई सार विपत्र आहरित नहीं की जाएगी यदि विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत नहीं की जाती है।

सार आकस्मिक विपत्रों पर राशि के आहरण एवं समायोजन का वर्षवार ब्यौरा नीचे दी गयी है:

तालिका 3.1: लंबित सार आकस्मिक विपत्रों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित सार आकस्मिक विपत्र		समायोजित सार आकस्मिक विपत्र		लंबित सार आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2011-12 तक	92154	30253.61	74604	27954.45	17550	2299.16
2012-13	1863	1692.49	978	913.01	885	779.48
2013-14	1294	728.61	60	5.95	1234	722.66
योग	95311	32674.71	75642	28873.41	19669	3801.30

(स्रोत: वर्ष 2013-14 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

तालिका 3.1 के अनुसार 95311 सार आकस्मिक विपत्र पर आहरित ₹ 32674.71 करोड़ में से सिर्फ ₹ 28873.41 करोड़ के 75642 सार आकस्मिक विपत्र महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार द्वारा समायोजित किया गया। हालांकि, नियमित अंतराल पर यह मुद्दा उठाए जाने पर भी 31 मार्च 2014 तक 19669 सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 3801.30 करोड़ का विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत होना था।

संवीक्षा से प्रकट हुआ कि सार आकस्मिक विपत्र पर वर्ष 2013-14 में आहरित ₹ 728.61 करोड़ में से ₹ 199.77 करोड़ (27.42 प्रतिशत) की राशि मार्च 2014 में आहरित हुई। इसमें ₹ 44.65 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन आहरित हुई। वित्तीय वर्ष के अंतिम

अध्याय III वित्तीय प्रतिवेदन

माह के दौरान वृहत् आहरण अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन का सूचक है तथा दुर्विनियोजन के जोखिम से भी भरा है।

3.2 उपयोगिता प्रमाण—पत्र की प्रस्तुति में विलंब

सहायता अनुदान मद में रक्षानीय निकाय, धार्मिक, धर्मार्थ, या शैक्षणिक संस्थान को अनुदान, वृत्तिका, छात्रवृत्ति, सार्वजनिक प्रदर्शनियों को अंशदान इत्यादि सम्मिलित है। बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 341 (2) कहता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उतने ही अनुदान का भुगतान करना चाहिए जितनी कि वर्ष के दौरान व्यय का अनुमान है, बिहार कोषागार संहिता 1937 के नियम 431 के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए विपत्र हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को देखना चाहिए कि आवश्यकता से पहले धन का आहरण न हो। मार्च महीने में इन अनुदानों के सघन भुगतान का कोई अवसर नहीं होना चाहिए। पुनः वित्त विभाग का कार्यपालक आदेश संख्या 573 दिनांक 16 जनवरी 1975 ने उपयोगिता प्रमाण—पत्र देने के लिए संस्थीकृति की तिथि से एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित की। हालांकि, कार्यपालक आदेश संख्या 9736 दिनांक 19 अक्टूबर 2011 के द्वारा इस समय सीमा को संशोधित कर 18 माह कर दिया गया।

हालांकि वर्ष 2013–14 तक भुगतान किये गए सहायता अनुदान के संबंध में ₹ 59113.55 करोड़ के 2128 उपयोगिता प्रमाण—पत्र बकाया था। उपयोगिता प्रमाण—पत्र का समयवार बकाया तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: उपयोगिता प्रमाण—पत्र का समयवार बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	वर्ष की श्रेणी	बकाया उपयोगिता प्रमाण—पत्र	
		संख्या	राशि
1	0-1(*)	408	18935.01
2	1-2(*)	430	18748.14
3	2 एवं अधिक	1290	21430.40
	योग	2128	59113.55

(स्रोत: वर्ष 2013–14 के लेख पर टिप्पणियाँ)

(*) जहाँ संस्थीकृति आदेश निर्दिष्ट हो, को छोड़कर, अन्यथा वर्ष 2012–13 (सितम्बर सिर्फ़ 2012 के बाद संस्थीकृति) तथा वर्ष 2013–14 के दौरान आहरित अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण—पत्र सिर्फ़ वर्ष 2014–15 में देय होगा।

उपयोगिता प्रमाण—पत्र के 32 प्रतिशत में से शिक्षा (₹ 11994.77 करोड़ के 323 उपयोगिता प्रमाण—पत्र) तथा पंचायती राज (₹ 7125.43 करोड़ के 151 उपयोगिता प्रमाण—पत्र) विभागों से संबंधित हैं। उपयोगिता प्रमाण—पत्र की प्रस्तुति नहीं होने से विभिन्न योजना/कार्यक्रमों के लिए विमुक्त निधि, अप्राधिकृत उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग अथवा विचलन का जोखिम था।

चूंकि वृहत् धनराशि अनुपयोगित था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि का विचलन/दुरुपयोग नहीं हो, विमुक्ति/उपयोग में चूक तथा जवाबदेही की प्राथमिकता होनी चाहिए।

3.3 प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के अनुच्छेद 20 (1) में वर्णित प्रावधान के अनुसार किसी भी निकाय या प्राधिकरण के लेखों की

लेखापरीक्षा यदि नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को किसी कानून के द्वारा सौंपी जाती है या यदि किसी विधान सभा वाले राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है तो लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति प्राप्त शर्तों—प्रतिबंधों पर ली जा सकती है तथा ऐसे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों हेतु निकायों एवं प्राधिकरणों के बही एवं लेखाओं तक पहुँच का अधिकार होगा।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा स्थायी रूप से नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (बी.एस.के.भी.आई.बी.), बिहार राज्य आवास बोर्ड (बी.एस.एच.बी.) तथा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (आर.ए.यू.) पूसा, समस्तीपुर के क्रमशः वर्ष 2009–10, 2004–05 के आगे की अवधि तथा वर्ष 2011–12 के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी। इन निकायों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण, नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन तथा राज्य विधान मंडल में इनकी प्रस्तुति **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाया गया है।

3.4 मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष

वित्त लेखा उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लंबित ऋण तथा जमा शेष को अलग से जोड़कर तैयार किया गया। विगत तीन वर्षों के अंत तक कुछ मुख्य उचंत शीर्ष के अंतर्गत (मुख्य शीर्ष 8658 के अंतर्गत) सकल आँकड़ों की स्थिति तालिका 3.3 में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.3: उचंत एवं प्रेषण शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

शीर्ष का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
8658-101—वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	208.11	.	214.35	-	2.35.47	-
निवल	(नामे) 208.11		(नामे) 214.35		(नामे) 235.47	
8658-102—उचंत लेखा (सिविल)	1433.35	247.08	1707.43	253.37	1778.62	258.09
निवल	(नामे) 1186.42		(नामे) 1454.06		(नामे) 1520.53	
8658-110—रिजर्व बैंक उचंत—केन्द्रीय लेखा कार्यालय	1223.35	894.70	1237.71	894.60	1225.14	894.60
निवल	(नामे) 328.65		(नामे) 343.11		(नामे) 330.54	
8782-102—लोक निर्माण प्रेषण	9736.93	9777.31	8624.88	8806.17	12047.47	12187.96
निवल	(जमा) 328.65		(जमा) 343.11		(जमा) 330.54	
8782-103—वन प्रेषण	73.45	74.61	127.82	119.95	208.11	185.49
निवल	(जमा) 1.16		(जमा) 7.87		(जमा) 22.62	

(स्रोत: वर्ष 2013-14 के लेखे पर टिप्पणियाँ)

वर्ष 2012-13 की तुलना में 101—वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत के अंतर्गत ₹ 21.12 करोड़ (नामे) वृद्धि, 102—उचंत लेखा (सिविल) के अंतर्गत ₹ 66.47 करोड़ (नामे) तथा 110—आर.बी.उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय के अंतर्गत ₹ 12.57 करोड़ (नामे) की निवल कमी हुई।

यदि ये राशि असमाशोधित रह जाते हैं तो उचंत शीर्ष के अंतर्गत शेष संचित हो जाएगी तथा सरकार के व्यय का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करेगी। इस प्रकार, उचंत शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष के समाशोधन के लिए प्रबल रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है।

3.5 अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 के अनुसार, जब तक तुरंत भुगतान की आवश्यकता नहीं हो, कोषागार से धन आहरित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नियम 177 के अनुसार कोषागार से व्यय की प्रत्याशा में कार्य के क्रियान्वयन हेतु जिसे पूर्ण करने में बहुत समय लग सकता है अथवा विनियोजन की व्यपगत होने से बचने के लिए अग्रिम का आहरण करना स्वीकार्य नहीं है। यदि विशेष परिस्थिति में धन का अग्रिम आहरण होता है तो ऐसी आहरित राशि का अव्ययित शेष अगले विपत्र अथवा चालान, जो पहले संभावित अवसर हो, में न्यून आहरण द्वारा कोषागार में वापस जमा करना चाहिए तथा किसी तरह आहरित राशि उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक जमा होनी चाहिए। जिसमें यह आहरित हुई है।

यह पाया गया कि अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का ₹ 221.30 करोड़, आठ संबंधित विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 31 मार्च 2014 तक आहरित किया गया। 31 मार्च 2014 तक लंबित अग्रिम एवं अग्रदाय का विभागवार विश्लेषण तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: लंबित अग्रिम एवं अग्रदाय का विभागवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	असमायोजित अग्रिम एवं अग्रदाय की कुल राशि
1	भवन निर्माण	12.46
2	सिंचाई	30.81
3	राष्ट्रीय राजमार्ग	0.97
4	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	9.40
5	पथ निर्माण	132.96
6	ग्रामीण कार्य	22.78
7	योजना एवं विकास	6.79
8	नलकूप तथा लघु सिंचाई	5.13
योग		221.30

(स्रोत: वर्ष 2013–14 के लेख पर टिप्पणियाँ)

अग्रिम एवं अग्रदाय के लंबित मामले, वृहत् राशि के अग्रिम के समायोजन संबंधी विधिक प्रावधान के अनुपालन में विभागीय अधिकारियों की शिथिलता प्रदर्शित करती है।

3.6 प्राप्तियों एवं व्यय का असमाशोधन

बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 475 (viii) के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा संधारित लेखा में दिये गए आँकड़े तथा महालेखाकार (लेठे एवं हक्क) के पुस्त में दर्शायी गई आँकड़ों के समाशोधन हेतु विभागाध्यक्ष तथा महालेखाकार (लेठे एवं हक्क), बिहार संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। समाशोधन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभागीय लेखा, व्यय का कुशल विभागीय नियंत्रण प्रदान करने हेतु उपयुक्त रूप से सही है।

तथापि, संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पूर्व प्रतिवेदनों में विभागीय लेखा के असमाशोधन के मामलों के इंगित किए जाने तथा महालेखाकार (लेठे एवं हक्क) द्वारा अनुसरणों के बावजूद नियंत्री पदाधिकारी द्वारा ऐसी छूक वर्ष 2013–14 के दौरान भी जारी रही। वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 76478.23 करोड़ (राजस्व और पूँजीगत) के कुल व्यय के विरुद्ध कुल व्यय का सिर्फ ₹ 23038.68 करोड़ (30 प्रतिशत) का समाशोधन हुआ।

वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 68918.65 करोड़ (राजस्व और पूँजीगत) की कुल प्राप्ति में से नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा सिर्फ ₹ 55159.51 करोड़ (80 प्रतिशत) का समाशोधन किया गया।

3.7 बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष – 800 की कार्य प्रक्रिया

लघु शीर्ष ‘800—अन्य प्राप्तियाँ’, तथा ‘800—अन्य व्यय’ के अंतर्गत प्राप्तियाँ अथवा व्यय को दर्ज करने को प्राप्तियाँ तथा व्यय का अपारदर्शी वर्गीकरण माना जाता है, क्योंकि ये शीर्ष राशि से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों को प्रकट नहीं करते हैं। यह शीर्ष उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं होने वाले व्यय को समायोजित करता है।

वर्ष 2013–14 के दौरान, व्यय भाग के 21 राजस्व तथा पूँजीगत मुख्य शीर्ष के खातों (सरकार का कार्य प्रस्तुत करते हुए) के अंतर्गत कुल ₹ 506.16 करोड़ का व्यय लघु शीर्ष ‘800 – अन्य व्यय’ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो कि संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का 0.66 प्रतिशत था। एक मुख्य शीर्ष¹ में ₹ 46.47 करोड़ के व्यय को अन्य व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट 3.2 में प्रदर्शित किया गया है। यद्यपि पूर्व वर्ष की तुलना में सुधार हुआ तथापि सुधार की गुंजाइश बाकी है।

इसी तरह, राजस्व प्राप्तियाँ (सहायता अनुदान को छोड़कर) के 42 राजस्व मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹ 433.61 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियाँ लघु शीर्ष—‘800—अन्य प्राप्तियाँ’ के अंतर्गत वर्गीकृत की गयी जो कि संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्ति का 0.63 प्रतिशत था। 14 मुख्य शीर्षों के ₹ 251.19 करोड़ की वृहत् प्राप्ति हुई जिसे ‘अन्य प्राप्तियाँ’ के रूप में वर्गीकृत की गयी जिसका विवरण परिशिष्ट 3.3 में दिया गया है।

बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष ‘800—अन्य व्यय/प्राप्तियाँ’ के अंतर्गत वृहत् राशि के वर्गीकरण से वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता प्रभावित हुई।

3.8 गबन के मामलों का प्रतिवेदन

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 31 और 32 में प्रावधान है कि सरकारी धन की कोई हानि या उसका संदेह होने पर या सरकारी धन के गबन होने पर संबंधित पदाधिकारी को अपने से उच्च पदाधिकारी को और वित्त विभाग को तथा साथ ही महालेखाकार को तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए, चाहे ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा क्यों न कर दी गयी हो। जाँचोपरांत ऐसी हानि की प्रकृति, सीमा तथा कारणों एवं इसकी वसूली को प्रभावित करने वाली संभावनाओं से संबंधित पूर्ण प्रतिवेदन समर्पित कर देनी चाहिए। इन प्रतिवेदनों को प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों को दुर्विनियोजन, हानि अथवा गबन के कारणों या परिस्थितियों पर आवश्यक अथवा उचित विभागीय जाँच करने के पश्चात तथा जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चर्चा करते हुए विस्तृत प्रतिवेदन सरकार को भेजना चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा ₹ 11.28 करोड़ की राशि के दुर्विनियोजन, हानि अथवा गबन इत्यादि के सात मामले जो अंतिम निपटारा हेतु लंबित थे, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित किया गया था। लंबित मामले के समयवार/श्रेणीवार विधेन परिशिष्ट 3.4, 3.5 एवं 3.6 में वर्णित हैं तथा तालिका 3.5 में सारांशीकृत हैं।

¹ 5452—पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय।

तालिका 3.5: गबन, दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि का प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

लंबित मामलों के समय प्रोफाइल			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्षों की विस्तार	मामलों की संख्या	समाहित राशि	मामलों की प्रकृति	मामलों की संख्या	समाहित राशि
0-5	5	9.43	दुर्विनियोजन	-	-
5-10	1	0.01	सम्पत्ति/सामग्री की हानि	1	0.01
10-15	-	-			
15-20	1	1.84	गबन	6	11.27
20-25	-	-			
25 एवं अधिक	-	-	कुल लंबित मामले	7	11.28
योग	7	11.28			

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

सात लंबित मामलों में से छः मामले (₹ 11.27 करोड़) गबन से संबंधित थे जो यह दर्शाता है कि संबंधित विभाग द्वारा सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए नियमावली के प्रावधान के अनुसार उचित कदम नहीं उठाया गया था। मामलों के लंबित रहने का कारण तालिका 3.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6: गबन, दुर्विनियोजन, हानि इत्यादि के लंबित मामलों के कारण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विलंब/बकाया मामलों के कारण	मामलों की संख्या	राशि
1	विभागीय एवं आपराधिक अनुसंधान की प्रत्याशा	-	-
2	विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी परन्तु अंतिम निपटरा का न होना	6	9.44
3	आपराधिक अभियोजन पूर्ण परन्तु राशि की वसूली हेतु निलाम बाद का कार्यान्वयन लंबित	-	-
4	वसूली या अपलेखन के लिए आदेश की प्रत्याशा	-	-
5	न्यायालयों में लंबित	1	1.84
योग		7	11.28

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

3.9 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र

- विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की प्रस्तुति न होने के कारण सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 3801.30 करोड़ की अहम राशि 31 मार्च 2014 तक लंबित थे।

राज्य सरकार द्वारा विद्यमान नियमों एवं प्रावधान के अनुसार विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की ससमय प्रस्तुति सुनिश्चित करना चाहिए।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

- विभिन्न विभागों द्वारा सहायता अनुदान विपत्रों के विरुद्ध आहरित ₹ 59113.55 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2014 तक लंबित था। सहायता अनुदान

विपत्रों के विरुद्ध वृहद् राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अप्राप्ति, अभिप्रेत प्रयोजन हेतु अनुदान के ससमय व्यवहार के लिए नियम एवं पद्धति का पालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता प्रदर्शित करती है।

राज्य सरकार द्वारा अभिप्रेत प्रयोजन हेतु अनुदान की ससमय उपयोगिता एवं उसके विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति सुनिश्चित करना चाहिए।

प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

- सभी चार प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा प्रमाणीकरण के लिए लेखा/लेखापरीक्षा की प्रस्तुति में नौ महीना से तीन वर्षों से अधिक विलंब था।

सरकारी विभागों द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा की ससमय प्रस्तुति सुनिश्चित करना चाहिए।

अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

- आठ विभागों द्वारा 31 मार्च 2014 तक आहरित ₹ 221.30 करोड़ के अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय असमायोजित थे।

सरकारी विभागों द्वारा वर्ष के अंत तक अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय की वसूली/समायोजन सुनिश्चित करना चाहिए।

(प्रवीण कुमार सिंह)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

पटना
दिनांक:

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: